झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान सभा
चतुर्दश सत्र
---,
वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न बुधवार,दिनांक– 15श्रावण,1936 {श0} / 06,अगस्त,2014{ई0} को

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगेः–

क.सं.	विभागों को भेजी गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
95	–अ0सू0–09	श्री रघुवर दास	सुविधा स्थगित करने का औचित्य।	नगर विकास	25.07.14
96	–अ0सू0–18	श्री पौलुस सुरीन	अभियंताओं को प्रोन्नति।	पथ निर्माण	31.07.14
97	–अ0सू0–10	श्री दीपक विरूवा	सेवा नियमावली एवं संवर्ग का गठन।	ग्रामीण विकास	24.07.14
98	–अ0सू0–17	श्री पौलुस सुरीन	सहायक अभियंता में उत्क्रमित।	पथ निर्माण	31.07.14
99	–अ0सू0–12	श्री अरविन्द कु0 सिंह	नगर पार्षद का दर्जा देना।	नगर विकास	28.07.14
100	'क'अ0सू0–2	श्री प्रदीप यादव	फ्लाई ओवर का निर्माण।	पथ निर्माण	24.07.14
101	–अ0सू0–04	श्री कमलेश उराँव	मुआवजा मुहैया कराना।	आपदा प्रबंधन	24.07.14
102	–अ0सू0–13	श्री जनार्दन पासवान	पथ का जीर्णोद्धार।	पथ निर्माण	30.07.14
103	–अ0सू0–08	श्री कमल किशोर भगत	संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन।	नगर विकास	24.07.14
104	'ख'अ0सू0–11	श्री सरफराज अहमद	निगरानी जाँच कराना।	ग्रामीण कार्य	24.07.14
105	–अ0सू0–01	श्री बंधु तिर्की	गतिरोधक निर्देश अंकित कराना।	पथ निर्माण	24.07.14
106	–अ0सू0–15	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	सेवा शर्त नियमावली का गठन।	पथ निर्माण	30.07.14
107	–अ0सू0–05	श्री कमलेश उराँव	कार्य शीघ्र पूर्ण कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	24.07.14
108	–अ0सू0–16	श्री समरेश सिंह	कंपनी पर कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	31.07.14
109	–अ0सू0–03	श्री बन्ना गुप्ता	योजना का कार्यान्वयन।	नगर विकास	24.07.14
110	–अ0सू0–07	श्री सौरभ नारायण सिंह	डी0पी0आर0 तैयार करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	24.07.14

कृ0पृ030/

111-अ0सू0-06	श्री माधव लाल सिंह	जाँच कर बहाली कराना।	ग्रामीण विकास	24.07.14
112-अ0सू0-04	श्री उमाकान्त रजक	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	30.07.14

नोटः-'क' नगर विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरित।
'ख' ग्रामीण विकास विभाग से ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांक-06 अगस्त,2014(ई0।)

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-1563/वि0स0,राँची,दिनांकः-02.....अगस्त,2014ई0।

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

02/08/14
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-1563/वि0स0,राँची,दिनांकः-02.....अगस्त,2014ई0।

प्रतिलिपिः-अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

02/08/14
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

राजेन्द्र/-

(95)

श्री रघुवर दास, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0–09 का उत्तरः–

प्रश्न	उत्तर
1.) क्या यह बात सही है कि टाटा एवं सरकार के बीच हुए लीज एग्रीमेन्ट की कंडिका–7 में व्रर्णित प्रावधान के अनुसार एपेन्डिक्स ई0 में वर्णित भूमि के वासियों को नागरिक सुविधा के तहत् बिजली एवं पानी की सुविधा टाटा को देना है?	आंशिक स्वीकारात्मक है। एपेन्डिक्स ई0 में वर्णित भूमि के वासियों को नागरिक सुविधा भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराया जाना है।
2.) क्या यह बात सही है कि प्रश्न कर्त्ता सदस्य के अनुरोध के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 की धारा–592 के आलोक में जल प्रभार एवं गृह जल संयोजन की उपनियम–2013 के अनुसरण में सचिव, नगर विकास विभाग के द्वारा विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को पत्रांक–2027, दिनांक–23.05.14 द्वारा जल प्रभार एवं गृह जल संयोजन हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।	स्वीकारात्मक।
3.) क्या यह बात सही है कि नगर विकास विभाग के पत्रांक–1558, दिनांक–09.07.14 द्वारा विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति गृह संयोजन हेतु कार्रवाई करने पर रोक लगायी गयी है।	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्लू0पी0 (पी0आई0एल0) No-1076/2011 कोर्ट आन इटस ऑन मोशन बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक– 07.03.2011 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे करने वाले के विरूद्ध कार्रवाई करने, साथ ही अवैध परिसर का बिजली एवं जल संबंधन विच्छेद करने का आदेश दिया गया है। उक्त न्यायादेश के आलोक में तदगत कार्यालय पत्रांक–3155, दिनांक–08.07.14 द्वारा विभागीय पत्रांक–2027, दिनांक–23.05.14 को स्थगित रखा गया है।
4.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार 86 बस्तियों में बिजली एवं पानी की सुविधा स्थगित करने का औचित्य बतायेगी?	टाटा एवं सरकार के बीच हुई लीज एग्रीमेंट तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त करने हेतु संचिका विधि विभाग भेजा गया है। विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में बिजली पानी की सुविधा बहाल करने के संबंध में उचित निदेश जारी किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक :– 5/न0वि0/वि0स0–आ0सू0–09/2014 – 3596 /न0वि0वि0 राँची, दिनांक :– 05-08-14.

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–1401 दिनांक–25.07.14 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

U.D.D. Hall : E/Bidhan Sabha. 2014- 59

96

मा0, स0वि0स0, श्री पौलुस सुरीन द्वारा दिनांक 06.08.14 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 -- अ0सू0 -- 18 का उत्तर प्रतिवेदन :--

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --	
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2007 में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति की गई थी तथा विभिन्न विभागों में सेवा दी गयी थी ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सेवा संपुष्टि हो चुकी है परन्तु पथ निर्माण विभाग में अनुसूचित जनजाति के अभियंताओं की सेवा संपुष्टि 2 वर्षो में ही करनी थी, परन्तु अभी नही की गयी है साथ अनुसूचित जनजाति के रिक्तियों में प्रोन्नति हेतु एक साल सेवा क्षांत कर नीचे की सूची से रिक्ति को भरने का प्रावधान है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। सेवा सम्पुष्टि हेतु विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सहायक अभियंता के पद पर सम्पुष्टि की कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2007 में नियुक्त वैसे सहायक अभियंता जो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके है, उनकी सम्पुष्टि नियमानुसार की जाएगी। सम्पुष्टि के उपरांत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्पों में निहित आरक्षण के प्रावधान एवं प्रोन्नति हेतु विहित कालावधि की शर्त्तो के अनुरूप प्रोन्नति की कार्रवाई की जाएगी।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यथाशीघ्र सेवा संपुष्ट कर अनुसूचित जनजाति के अभियंताओं को प्रोन्नति देना चाहती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका -- 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक 11--अ0सू0--12/2014 5881 (S) WE राँची/दिनांक : 5/8/14

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान--सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1544 दिनांक 31.07.14 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

5/8/14
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 11--अ0सू0-- 12/2014 5881 (S) राँची/दिनांक : 5/8/14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

5/8/14
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(97)

दिनांक– 06.08.2014 को श्री दीपक बिरूवा, मा0 स0वि0स0 द्वारा सदन में पूछा जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0– 10

अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
श्री दीपक बिरूवा, मा0 स0वि0स0	माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में 130 महिला प्रसार पदाधिकारी कार्यरत है जिनकी नियुक्ति अविभाजित बिहार के समय में हुई थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। मार्च– 2014 तक कुल– 122 महिला प्रसार पदाधिकारी कार्यरत रहे है, जिनकी नियुक्ति अविभाजित बिहार में हुई थी।
2. क्या यह बात सही है कि इनकी सेवा नियमावली एवं संवर्ग का गठन नही होने से वित्तीय लाभ से वंचित होना पड़ रहा है ;	सरकारी सेवक घोषित करने से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार 28 वर्षो से कार्यरत महिला प्रसार पदाधिकारियों की सेवा नियमावली एवं संवर्ग का गठन करते हुऐ गैर–योजना मद से वेतन तथा ए0सी0पी0 का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा खण्ड– 1 एवं 2 के उत्तर में वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक– 02– 16 (DRDA)– वि0स0प्र0– 2014/4667 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक– 04·8·14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 1354 वि0स0 दिनांक– 24.07.2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/8/14
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 02– 16 (DRDA)– वि0स0प्र0– 2014/4667 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक– 04·8·14

प्रतिलिपिः– माननीय स0वि0स0, श्री दीपक बिरूवा के आप्त सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/8/14
सरकार के संयुक्त सचिव।

(78)

मा0, स0वि0स0, श्री पौलुस सुरीन द्वारा दिनांक 06.08.14 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 -- अ0सू0 -- 17 का उत्तर प्रतिवेदन :--

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --	
1. क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग में वर्ष 2013 में कनीय अभियंताओं की नियुक्त की गयी थी, जिसमें डिग्रधारी अनुसूचित जनजाति के महिलाएँ भी कार्यरत है ;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार डिग्रीधारी अनुसूचित जनताति कनीय अभियंता को सहायक अभियंता में उत्क्रमित करना चाहती है, हॉ तो कब तक, और नही तो क्यों नही ?	झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियमावली श्रेणी -- 2 में डिग्रीधारी कनीय अभियंता को सहायक अभियंता (AMIE कोटा से) में उत्क्रमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 11--अ0सू0--11/2014 5880 (S)WE राँची/दिनांक : 5/8/14

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान--सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1545 दिनांक 31.07.14 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

5/8/14
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 11--अ0सू0--11/2014 5880(S) राँची/दिनांक : 5/8/14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

5/8/14
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(97)

श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–न0– 12का उत्तर सामग्रीः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 की धारा–03 के तहत् सरायकेला–खरसावॉ के चाण्डिल अनुमण्डल के कपाली एवं चाण्डिल, आबादी के अनुसार नगर निकाय/नगर पर्षद दर्जा प्राप्त करने की सभी अहर्त्ता पूरी करता है :	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–8 (2) के आलोक में यदि शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या एक लाख से अधिक और एक लाख पचास हजार से कम हो तो उसे नगर परिषद वर्ग–'क' के रूप में एवं यदि शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या 40 हजार से अधिक एवं एक लाख से कम हो तो उसे नगर परिषद वर्ग–'ख' के रूप में अधिसूचित किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2011 की जनगणना के ऑकड़ों के आधार पर चाण्डिल की जनसंख्या–48095 एवं कपाली की जनसंख्या–43256 है, जो नगर परिषद वर्ग–'ख' के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का घनत्व, गैर कृषि कार्य में सेवा योजन का प्रतिशत, आर्थिक महत्व तथा अन्य कारकों का होना आवश्यक है।
2.	क्या यह बात सही है कि नगर पर्षद एवं नगर निकाय के लिए पचास हजार की जनसंख्या होना चाहिए, जबकि चाण्डिल एवं कपाली की आबादी एक लाख से ज्यादा हैः	वस्तुस्थिति यह है कि नगर परिषद वर्ग–'ख' के लिए 40 हजार की जनसंख्या का होना आवश्यक है। चाण्डिल एवं कपाली को अलग–अलग नगर निकाय के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु उपायुक्त, सरायकेला–खरसावॉ से विभागीय पत्रांक–570, दिनांक–12.02.14, पत्रांक–824, दिनांक–24.02.14 एवं पत्रांक–3511, दिनांक–31.07.14 द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चाण्डिल एवं कपाली को नगर निकाय/नगर पर्षद का दर्जा देना चाहती है, हॉं, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर कंडिका–1 एवं 2 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक–4/न०वि०/अल्पसूचित/103/2014 3528 दिनांक– 01/08/14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक संख्या–1466/वि०स०, दिनांक–28.07.2014 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ एवं अवर सचिव, प्रशाखा–1, नगर विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(100)

मा0, स0वि0स0, श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 06.08.14 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर शहर में भारी ट्राफिक के कारण वर्ष 2008–2012 तक घातक कांडो की संख्या –751 एवं मृत व्यक्तियों की संख्या – 789 रही है ; 2. क्या यह बात सही है कि अत्याधिक ट्राफिक दबाव को कम करने के लिए स्थानीय जनता की ओर से फ्लाईओवर निर्माण कराने की मॉग लगातार की जाती रही है ;	विभाग से संबंधित नही है ।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, टाटा कम्पनी पर दबाव देकर अथवा स्वयं फ्लाईओवर का निर्माण कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यो ?	पथ प्रमंडल, जमशेदपुर के अधीन वर्तमान में फ्लाई ओभर बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 11–अ0सू0–07/2014 5855(S) राँची/दिनांक : 05/08/14

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1341 दिनांक 24.07.14 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

(हस्ताक्षर) 5/8/14
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 11–अ0सू0–07/2014 5855(S) राँची/दिनांक : 05/08/14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 5/8/14
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची

(101)

झारखण्ड सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

श्री कमलेश उराँव, स०वि०स०
द्वारा दिनांक 06.08.2014 को
पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न
सख्या–अ०सू०–04

माननीय मंत्री
आपदा प्रबंधन विभाग,
झारखंड, राँची ।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिला अंतर्गत वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 में जितनी भी आपदाएँ आई, सर्वे के बावजूद प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति नहीं दी गई ;	अस्वीकारात्मक । उपायुक्त, गुमला के पत्रांक–680(i), दिनांक–30.07.2014 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को वितरण किये गये सहाय्य राशि की विवरणी निम्नवत है :–

मद	मानव/पशु	संख्या	वितरित राशि
बज्रपात	मानव	12	1300000
बज्रपात	पशु	04	40000
	कुल–	**16**	**1340000**

वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को वितरण किये गये सहाय्य राशि :–

मद	मानव/पशु	संख्या	वितरित राशि
बज्रपात	मानव	13	1600000
बज्रपात	पशु	20	309050
	कुल–	**33**	**1909050**

उपायुक्त, गुमला द्वारा हाल ही में इसके अतिरिक्त वर्ष 2013–14 से संबंधित कुछ अन्य मामलों के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इस संदर्भ में सहाय्य राशि के भुगतान के संबंध में त्वरित कार्रवाई की जा रही है ।

2. क्या यह बात सही है कि आपदा प्रबंधन से प्राप्त राशि आपात स्थिति में तथा जाँचोंपरान्त यथाशीघ्र देय होता है;	हाँ ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्क है, तो क्या सरकार गुमला जिला के वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 के प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा मुहैया कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक:– 1222 /आ०प्र०, राँची, दिनांक– 01/08/2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञापांक–1344/वि०स०, दिनांक–24.07.2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ मात्र) प्रतियों में तथा सरकार के संयुक्त सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गोपाल सिंह 1.8.14

(गोपाल सिंह)
सरकार के अवर सचिव

Chaturdash session-

(1027)

मा0, स0वि0स0, श्री जर्नादन पासवान द्वारा दिनांक 06.08.14 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 13 का उत्तर प्रतिवेदन :--

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --	
1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत हण्टरगंज से प्रतापपुर पथ, जिसकी कुल लंबाई 29 K.M है अत्यन्त ही जर्जर अवस्था में है ;	1. आंशिक स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ के खराब होने के कारण स्थानीय लोगों को तथा जिला प्रशासन को विधि–व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवा–गमन में काफी कठिनाई होती है ;	2. आंशिक स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पथ का जीर्णोद्वार कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, और नही तो क्यों?	3. संदर्भित पथ की लंबाई 29.6 कि0मी0 है, पथ का Road Crust 3.65 मी0 है । पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के डी0पी0आर0 की समीक्षा की कार्रवाई मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरुपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड द्वारा की जा रही है । गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014--15 मे इस पथ क कि0मी0 01, 05 से 18, 19 (पी0) एवं 20 से 28 कि0मी0 के साधारण मरम्मति की योजना स्वीकृत है, जिसकी निविदा दिनांक 30.07.14 को आमंत्रित थी । किसी भी निविदाकार द्वारा निविदा प्रतियोगिता में भाग नही लेने के कारण इस योजना पर पुर्ननिविदा की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 11–अ0सू0–08 / 2014 5861 (S)WE राँची / दिनांक : 5/8/14

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1527 दिनांक 30.07.14 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

5/8/14
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 11–अ0सू0–08 / 2014 5861(S) राँची / दिनांक : 5/8/14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8/14
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री कमल किशोर भगत, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0-08 का उत्तरः-

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है नगर विकास विभाग द्वारा राज्य की 32 नगरपालिकाओं के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया है;	स्वीकारात्मक है ।
2.	क्या यह बात सही है कि 32 में से 24 नगरपालिकाओं अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ती है जहाँ PESA एवं काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में है;	अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि उक्त 32 में से मात्र 17 नगर निकाय अनुसूचित क्षेत्र में पड़ते हैं । इनमें से सात निकायों यथा-साहेबगंज, दुमका, राजमहल, बासुकीनाथ, मिहिजाम, जामताड़ा एवं पाकुड़ में संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम तथा शेष 10 निकायों यथा- लोहरदगा, बुण्डू, खूँटी, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, चक्रधरपुर, सरायकेला, चाकुलिया, लातेहार में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू है ।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित अनु0 क्षेत्र के नगरपालिकाओं के मास्टर प्लान बन जाने पर जनजातीय आबादी प्रभावित होने के साथ-साथ संविधान की 5वीं अनुसूची PESA एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होगा?	अस्वीकारात्मक है । संविधान की 5वीं अनुसूची, PESA एवं काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधान एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 के अन्तर्गत मास्टर प्लान तैयार करने की कार्रवाई में कोई सीधा संबंध नहीं है ।उक्त प्रावधान मास्टर प्लान तैयार करने की कार्रवाई में बाधक नहीं है।
4.	यदि उपरोक्त प्रश्नखण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त नगरपालिकाओं के मास्टर प्लान बनाते जनजातीय आबादी के अस्तित्व बचाते हुए खण्ड-3 में वर्णित सभी संवैधानिक प्रावधानों को अनुपालन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मास्टर प्लान तैयार करने से संविधान की 5वीं अनुसूची, PESA एवं राज्य में लागू काश्तकारी अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होगा तथा इसका जनजातीय आबादी पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा ।

पत्रांक-06 A/न0वि0/वि0स0प्र0(अ0सू0)-20/2014.....

झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

ज्ञापांक-..3548 राँची, दिनांक-..02/08/14

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक-1350 दिनांक-24.07.14 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/8/2014

सरकार के उप सचिव ।

(104)

श्री सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–11

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0	**श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग**
1. क्या यह बात सही है कि श्री रामजी प्रसाद, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग को पूर्व में हजारीबाग जिला में पदस्थापन की अवधि में घोटाले एवं पुल निर्माण कार्य में अनियमित्ता तथा ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू के पदस्थापन की अवधि में पुल गिरने के आरोप में निलंबित किया गया था ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पलामू जिलान्तर्गत चैनपुर प्रखण्ड के केचकी–अवसाने पथ पर कोयल नदी पर निर्मित पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारणों के लिए श्री रामजी प्रसाद को निलम्बित किया गया था। निलम्बन आदेश की सम्पुष्टि के लिए जल संसाधन विभाग से अनुरोध किया गया।
2. क्या यह बात सही है कि निलंबन की अवधि में श्री प्रसाद का राँची मुख्यालय होने के बावजूद हजारीबाग जिला में कार्य सम्पादित कर रहे थे, जिन्हें पुनः हजारीबाग में पदस्थापित किया है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निलम्बन आदेश निर्गत किये जाने के समय श्री रामजी प्रसाद अपने पैतृक विभाग जल संसाधन विभाग में कार्यरत थे। उनके पैतृक विभाग द्वारा निलम्बन आदेश को सम्पुष्ट नहीं कर उनकी सेवा ग्रामीण विकास विभाग को सौंप दी। जल संसाधन विभाग से प्राप्त पत्र को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा दि0–15.05.13 को श्री रामजी प्रसाद को तामिला कराया गया। तत्पश्चात् दि0–16.05.13 को प्रसाद द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय में योगदान दिया गया है।
3. क्या सरकार ऐसे सहायक अभियंता के विरूद्ध निगरानी जाँच कराकर दण्डित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	श्री रामजी प्रसाद के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के लिए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी जा रही है। इसके अतिरिक्त आरोप में वर्णित पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जाँच बी0आई0टी0, मेसरा, राँची द्वारा करायी गयी है। जाँच प्रतिवेदन में श्री रामजी प्रसाद के विरूद्ध पुल निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता सम्बंधी आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। उपरोक्त आलोक में इस सम्बंध में निगरानी जाँच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 219/2014/ग्रा0का0 2594 राँची, दिनांक : 05.8.14

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 1355 वि0स0, राँची, दिनांक 24.07.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8/14

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 219/2014/ग्रा0का0 2594 राँची, दिनांक : 05.8.14

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

5/8/14

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 219/2014/ग्रा0का0 2594 राँची, दिनांक : 05.8.14

प्रतिलिपि : अवर सचिव (प्रभारी विधानमंडलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

5/8/14

सरकार के उप सचिव

(105)

मा0, स0वि0स0, श्री बंधु तिर्की द्वारा दिनांक 06.08.14 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 -- अ0सू0 -- 01 का उत्तर प्रतिवेदन :--

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -- 1. क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय उच्च पथ 23(राँची--गुमला मुख्य पथ) एवं राष्ट्रीय उच्च पथ 75 (राँची डालटेनगंज मुख्य पथ) पर दिन रात (24 घंटा) भारी वाहनों का परिचालन होता है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय उच्च पथ 23 (राँची गुमला मुख्य पथ) एवं राष्ट्रीय उच्च पथ 75 (राँची डालटेनगंज मुख्य पथ) के किनारे सघन आबादी वाले गाँव एवं विद्यालय अवस्थित है, जहाँ ब्रेकर और गति--रोधक निर्देश अंकित नही रहने के कारण आये दिन अप्रिय घटना घटती रहती है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राष्ट्रीय उच्च पथ 23 (राँची गुमला मुख्य पथ) एवं राष्ट्रीय उच्च पथ 75 (राँची डालटेनगंज मुख्य पथ) में विशिष्ट स्थानों को चिन्हित कर ब्रेकर और गति--रोधक निर्देध अंकित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, और नही तो क्यों?	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली के निदेशानुसार राष्ट्रीय उच्च पथों पर ब्रेकर एवं गति अवरोधक निर्माण नही किया जाना है । उक्त पथों में आवश्यकतानुसार Singage एवं निदेश पटल लगाये गये है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक 11--अ0सू0--06/2014 5879(5)we राँची/दिनांक : 5/8/14

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान--सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1345 दिनांक 24.07.14 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 11--अ0सू0--06/2014 5879 (5) राँची/दिनांक : 5/8/14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(106)

मा0, स0वि0स0, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा दिनांक 05.08.14 [illegible]
वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग संकल्प सं0 660 / वि0 दिनांक 28.02.2009 से राज्य सेवी वर्ग के लिए दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्रीय वेतनमान के साथ साथ केन्द्रीय सेवा शर्त स्वीकृत है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग के कड़े अनुश्रवण के बावजूद अभियंत्रण सेवा शर्त नियमावली के गठन में वर्षो विलम्ब हो रहा है, तथा विलम्ब का सबसे अधिक कुप्रभाव सेवारत डिप्लोमाधारी प्रोन्नत सहायक अभियंताओं को कार्यपालक अभियंता के उच्चत्तर पदों पर प्रोन्नति प्रदान करने के मामले मे पड़ रहा है, जबकि सीधी नियुक्ति से संबंधित सहायक अभियंताओं को अनुमान्यता से अधिक उच्चत्तर पद पर प्रोन्नति का लाभ प्राप्त होता जा रहा है ;	अभियंत्रण सेवा शर्त्त नियमावली के गठन की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।
3. क्या यह बात सही है कि विभागीय में कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के कुल 276 संवर्गीय पद उपलब्ध है तथा केन्द्रीय सेवा शर्त अनुरुप डिप्लोमाधारी (वरीयता आधारित प्रोन्नति से नियुक्त) सहायक अभियंताओं के प्रोन्नति हेतु कुल पदो के 33.33 प्रतिशत (पद) कोटा अनुमान्य है ;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार प्रस्तावित अभियंत्रण सेवा शर्त नियमावली का गठन दिनांक 01.01.2006 के भूतलक्षी प्रभाव से करने एवं प्रशासनिक / प्रक्रियात्मक विलम्ब का कुप्रभाव रोकने के निमित्त डिप्लोमाधारी प्रोन्नत सहायक अभियंता को कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति देने हेतु सकारात्मक कार्रवाई प्राथमिकता पर करना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक, और नहीं तो क्यो ?	प्रस्तावित अभियंत्रण सेवा शर्त्त नियमावली मे माननीय मुख्य(विभाग) मंत्री के अनुमोदनापरांत कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त हो चुकी है। वित्त विभाग से सहमति एवं विधि विभाग से विधिक्षा होने के उपरांत इसे मंत्री परिषद की बैठक में रखा जाएगा। नियमावली गठन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पष्चात् इसके प्रावधानों के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 11–अ0सू0–/2014 5860(S)WE राँची / दिनांक : 5/8/14

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1525 दिनांक 30.07.14 प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

5/8/14
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 11–अ0सू0–/2014 5860(S) राँची / दिनांक : 5/8/14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8/14
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(107)

श्री कमलेश उराँव, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक – 06.08.14 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–05

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड द्वारा दिये जाने वाला उत्तर :–
1.क्या यह बात सही है कि गुमला जिला मुख्यालय में शहरी पेय जलापूर्ति पाईपलाईन विस्तारीकरण की योजना स्वीकृत है ?	स्वीकारात्मक है।
2.क्या यह बात सही है कि योजना का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रही है जिससे बीते गर्मी में गुमला वासियों को लाभ नही मिल पाया ?	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। 1. दुन्दुरिया स्थित जलमीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त जलमीनार से जिस क्षेत्र को जलापूर्ति की जानी है उस क्षेत्र में पाईप लाईन में Missing link है जिसे पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है। 2. द्वितीय जलमीनार का निर्माण कार्य मौजा करमटोली में किया जा रहा है। स्थल से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र विलम्ब से प्राप्त हुआ। अबतक लगभग 60% कार्य पूर्ण है, शेष कार्य प्रगति में है। 3. तृतीय जलमीनार का निर्माण कार्य मौजा गुमला थाना संख्या– 59 खाता संख्या– 14, प्लॉट सं0–1424, रकबा– 0.20 एकड़ भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक– 03.06.2013 को प्राप्त हुआ। तदोपरान्त उक्त स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने की कार्रवाई की गई परन्तु स्थानीय लोगों द्वारा कार्य को करने से रोक देने के कारण कार्य बन्द करा देना पड़ा, जिसकी सूचना स्थानीय सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों, माननीय विधायक सहित प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी दिया गया है। विभाग द्वारा प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क स्थापित कर कार्य प्रारम्भ करने हेतु अवरोध को समाप्त कर लिया गया है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विस्तारीकरण योजना को यथाशीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक नही तो क्यों ?	गुमला शहरी जलापूर्ति के लिए निर्मित दुन्दुरिया जलमीनार एवं निर्माणाधीन करमटोली जलमीनार से शीघ्र जलापूर्ति पूर्ण रुप से चालू करने हेतु विभाग प्रयासरत है। तीसरे जलमीनार का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 07/अवसू0–02–01/2014– 3262 /राँची, दिनांक :– 11/8/14

प्रतिलिपि– झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक– 1343 दिनांक– 24.07.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/14

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

11/08/14

श्री समरेश सिंह, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक – 06.08.14 को पूछा जाने वाला जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–16

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड द्वारा दिये जाने वाला उत्तर :–
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत सियालगुदरी में JnNURM के तहत L&T Company द्वारा 288 करोड़ की लागत से बृहत जलागार एवं जलमीनार का निर्माण कार्य कराये जा रहें है ;	**स्वीकारात्मक है।** JnNURM के अन्तर्गत धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना के तहत् सियालगुदरी सहित पूरे धनबाद शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु 298.00 करोड़ की योजना का कार्य L&T Company द्वारा कराया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त कम्पनी द्वारा उस कार्य में घटिया ईंट, बालू, गिट्टी, छड़ एवं नकली सिमेंट का उपयोग किए जा रहें है, बृहत जलमीनार का उपरी भाग धंस गए तथा हाउस भी क्रेक कर गए है ;	**आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है।** L&T Company द्वारा योजना का कार्य DPR में अंकित विशिष्टियों के अनुरूप किया जा रहा है। योजना में उपयोग किए जानी वाली सभी सामाग्रियों की जाँच L&T Company द्वारा अधिष्ठापित प्रयोगशाला में कराया जाता है जिसकी सम्पुष्टि समय–समय पर BIT Sindri से करायी जाती है। योजना की प्रगति समीक्षा/निरिक्षण के क्रम में संज्ञान में आया कि सियालगुदरी जलमीनार के Top Dom के ढलाई के समय कर्मियों के एक जगह एकत्रित होने के कारण Shuttering थोड़ा दब गया था। उक्त त्रुटि के निराकरण हेतु कम्पनी को निर्देशित किया गया जिसके अनुपालन में कम्पनी द्वारा पुराने Structure को हटाकर नया Casting कराकर त्रुटि को दूर कर दिया गया। विभागीय अभियंता द्वारा योजना का सतत् निरीक्षण/निगरानी किया जा रहा है। वर्त्तमान में जलमीनार में पानी भरने एवं फिनीसिंग का कार्य चल रहा है।
3. क्या बात सही है कि इस संदर्भ में अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, धनबाद द्वारा निर्माण में गड़बड़ी को स्वीकारते हुए विभागीय कार्यपालक अभियंता, धनबाद–1 को उक्त कम्पनी पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, किन्तु कार्यपालक अभियंता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;	**आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है।** अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, धनबाद द्वारा बतायी गयी त्रुटियों को दूर करने का निर्देश कम्पनी के परियोजना पदाधिकारी को कार्य स्थल पर ही दिया गया था। साथ ही कम्पनी द्वारा कराये जा रहें कार्यो की गुणवत्ता को Maintain करने के लिए कार्यपालक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया। उक्त निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, प्रमण्डल–01, धनबाद के कार्यालय के पत्रांक–536, दिनांक–09.05.2014 के द्वारा उक्त त्रुटि में सुधार किए जाने एवं निर्धारित गुणवत्ता के साथ कार्य करने का निर्देश भी दिया गया था। उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन में कम्पनी द्वारा अपेक्षित सुधार कर दिया गया है।
4. क्या बात सही है कि 26 जून, 2014 को मुख्य सचिव के निदेश पर उपायुक्त, धनबाद के अध्यक्षता में एक कमिटी द्वारा तथा 2 जुलाई, 2014 द्वारा विभागीय प्रधान सचिव के आदेशनुसार विभागी कमिटी द्वारा इसकी जाँच करके सरकार को रिर्पोट दे दी गई है ;	माननीय विधायक द्वारा मामला संज्ञान में लाए जाने के आलोक में विभागीय कमिटी बनाकर जाँच करायी गई थी जिसका प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
5. अगर उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कार्यपालक अभियंता, धनबाद–1 पर कार्रवाई करते हुए L&T Company के आवंटित कार्यों को रदद् करते हुए उस कम्पनी का सिकुरिटी जब्त कर ब्लैक लिस्टेड करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस सम्बन्ध में कंडिका–02, 03 एवं 04 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 07/अ०सू०– 02–03/2014– 3305 /राँची, दिनांक :– 5/8/14

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक– 1543, दिनांक– 31.07.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8/14

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

(109)

झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न अ०सू०–03 का उत्तर सामग्रीः–

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर में गरीबों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु राजीव आवास योजना के तहत् जमशेदपुर के देव नगर में 388 फ्लैट निर्माण किया जाना है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि पूर्व में बी०एस०यू०पी० योजना के लिये केन्द्र सरकार 281 करोड़ के मद की स्वीकृति प्रदान की थी, परन्तु योजना को धरातल में नहीं उतारा जा सका;	स्वीकारात्मक है। जमशेदपुर बी०एस०यू०पी० योजना के लिये कुल 4176 आवासीय इकाई निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा 148.86 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके विरूद्ध प्रथम फेज में कुल 17.99 करोड़ रू० आवंटित किया गया था। जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में निर्धारित योजना के अनुसार जमीन की अनुपलब्धता के कारण योजना धरातल में नही उतर सकी है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजीव आवास योजना को ससमय धरातल पर उतारने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना के अन्तर्गत जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में कुल 388 आवासीय इकाई निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके क्रियान्वयन हेतु विभागीय आदेश सं०–3122 दिनांक–07.07.14 द्वारा जुडको लि० को अधिकृत किया गया है। जुडको लि० द्वारा योजना कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांकः–4 / न0वि0 / वि०स०–04 / 2014 -3568. दिनांक– 04-08-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय के ज्ञापांक सं०–1340 दिनांक–24.07.2014 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

04/08/14

(अन्तोनी सुरीन)
सरकार के अवर सचिव।

Manju/E/Sec-II/Sanjay Sir/ Bidhan Shabh-7

110

श्री सौरभ नारायण सिंह, स0 वि0 स0, झारखण्ड द्वारा दिनांक 06.08.14 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– 07

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड द्वारा दिये जाने वाला उत्तर :–
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के नगरपालिका क्षेत्र एवं आसपास के ग्रामों को कोनार डैम से पानी उपलब्ध कराने के लिए पी0 एच0 ई0 डी0 के द्वारा कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है ?	**उत्तर स्वीकारात्मक है।**
2	क्या यह बात सही है कि सेटेक इंडिया कोलकाता को कोनार डैम से पानी उपलब्ध कराने के लिए डी0 पी0 आर0 बनाने का कार्य दिया गया है ?	**उत्तर स्वीकारात्मक है।** कोनार डैम से पानी उपलब्ध कराने हेतु डी0 पी0 आर0 तैयार करने का कार्य अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, हजारीबाग के द्वारा सेटेक (इंडिया) कंसलटींग इन्जीनियर्स एवं कंसट्रक्टर, कोलकाता को दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र एवं ग्रामों में पानी उपलबध कराने के लिए डी0 पी0 आर0 बनाने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	ऐजेन्सी को यह कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 (चार) पंचांग मास निर्धारित है। एजेन्सी के द्वारा रॉ वाटर रुट का सर्वे कर लिया गया है। शहर के अन्दर जलापूर्ति कार्य का सर्वे 40 % पूरा किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक –07/अ0सू0–02–02/2014– 3263 /राँची, दिनांक – 11/8/14

प्रतिलिपि– झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक– 1348 दिनांक – 24.07.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/14

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

01/08/14

(111)

दिनांक 06.08.2014 को श्री माधवलाल सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0– 06

क्रम सं0	प्रश्नकर्त्ता–श्री माधवलाल सिंह, माननीय स0वि0सभा	उत्तरदाता–श्री के0 एन0 त्रिपाठी, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत कसमार प्रखण्ड में संजीवनी पायलट प्रोजेक्ट के तहत् वर्ष 2011 में विभागीय नियमों का उल्लंघन करते हुए सी0आर0पी0 (Community Resource Person) की बहाली बिना आम सभा के ही कर दी गई ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सी0आर0पी0 (Community Resource Person) की बहाली आम सभा द्वारा नहीं की जाती है बल्कि SHG के द्वारा चयनित होती है।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित बहाली ऐसे लोगों की की गई है जो सहिया, जल सहिया, महिला स्वयं सहायता समूह के डीलर तथा पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत है ;	यथा खण्ड–1 में वर्णित सी0आर0पी0 द्वारा सत्यापन प्रपत्र में घोषित है कि वे लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हैं।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सी0आर0पी0 की बहाली को जांच कराकर रद्द करने के पश्चात् आम सभा द्वारा बहाली कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड– 1 एवं 2 से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 4666 ग्रा0वि0 राँची, दिनांक 04.08.14

7–SGSY-14/2014

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–1342/वि0स0 दिनांक 24.07.2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/8/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 4665 ग्रा0वि0 राँची, दिनांक 04.08.14

7–SGSY(वि0स0)-26 /2014

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव)/श्री माधवलाल सिंह, मा0स0वि0 के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/8/14

सरकार के अवर सचिव।

E/SGSY/Vidhansabha

(112)

मा0, स0वि0स0, श्री उमाकान्त रजक द्वारा दिनांक 06.08.14 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि चन्दन कियारी में बाई पास पथ बनाया जा रहा था जो वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण नही मिलने के कारण वर्षो से कार्य बन्द है ;	1. स्वीकारात्मक ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग से लेकर पथ निर्माण कराना चाहती है, हॉ तो कब तक, और नही तो क्यों?	2. पथ निर्माण विभाग द्वारा चन्दनक्यिारी बाईपास का डी0पी0आर0 तैयार करवाया गया है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 11–अ0सू0–09/2014 5875 (S) WE राँची/दिनांक : 5/8/14

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1526 दिनांक 30.07.14 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

5/8/14
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 11–अ0सू0–09/2014 5875 (S) राँची/दिनांक : 5/8/14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

5/8/14
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।